राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 12(16) परि/सांख्यिकी/2009/पार्ट–/10428 जयपुर, दिनांक 24.09.2012

कार्यालय आदेश 18/2012

निःशक्तजन अधिनियम (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण व पूर्ण भागेदारी) अधिनियम 1995 के कियान्वयन के कम में निःशक्तजनों को विभाग की विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमों में भाग लेने/कार्यालय में आने पर निम्नानुसार विशेष सुविधायें प्रदान करना सुनिश्चित करें–

1. निःशक्तजनो को कार्यलय में आने पर उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जावे।
2. निशक्तजनों को आने–जाने के लिए रैम्प का निर्माण करवाया जावे।
3. निशक्तजनों के लिए आवश्यक सूचनाओं का कार्यालय में स्थापित May I Help You काउन्टर पर डिसप्ले किया जावे।
4. कार्यालय में विभिन्न कार्यो के लिए बनाये गये सभी काउन्टरों पर निःशक्तजनों को विशेष सुविधायें प्रदान की जावे साथ ही इनका कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।
5. कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले सभी निःशक्तजनों को सभी कार्यों/योजनाओं मे अन्य व्यक्तियों की तुलना मे विशेष प्राथमिकता प्रदान की जावे तथा इनके कार्य सर्वप्रथम किये जावे, जिससे इनको अनावश्यक रूप से परेशानी नही उठानी पड़े।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में निःशक्तजनों की समस्याओं के निवारण हेतु जिला परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा समस्याओं के निवारण संबंधी मासिक रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत की जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं का मध्यनजर रखते हुये निःशक्तजन व्यक्तियों को कार्यालय में आने पर सभी कार्यो में विशेष प्राथमिकता प्रदान की जावे तथा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके साथ सद्व्यवहार एवं सहयोग किया जावें।

10429 – 10435
24/9/12

परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/एम.आर.टी.ए./सड़क सुरक्षा)
4. उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को भेजकर लेख है कि निःशक्तजनों के आरक्षित पदो पर नियमानुसार उनको आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।
5. उप परिवहन आयुक्त (यो.वि./नियम/कर/आधु./रिट)
6. समसत प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)